

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कमांक:जेपीडी/मुअ(वाणिज्य)/अअ (आरई)/प.1201/प्रे.205 जयपुर,दिनांक - 01/05/08

आदेश

विषय:- शहरी क्षेत्रों में विशेष श्रेणी,नर्सरी व फार्म हाउस श्रेणी में जारी कनेक्शन जिन्हें ब्लॉक हावर्स में सप्लाई दी जा रही है के कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने बाबत।

समन्वय समिति की दिनांक 28 व 31 मार्च को आयोजित 116वी बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निम्न आदेश दिये जाते हैं कि :-

शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को जिन्हें 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति नहीं दी जा रही है और ग्रामीण फीडरों से जिनकी विद्युत सप्लाई 6-7 घन्टे दी जा रही है तथा कनेक्शन जारी होने से दो वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, उन्हें तुरन्त प्रभाव से कृषि सामान्य श्रेणी में परिवर्तन कर दिया जाये तथा यदि दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हों तो जब भी दो वर्ष पूर्ण हो जाये तो उस तिथि से सामान्य श्रेणी में परिवर्तन कर कृषि सामान्य श्रेणी की प्रभावी दरों से विद्युत बिल जारी कर दिये जावें, परन्तु जिला मुख्यालय पर ऐसे नर्सरी/फार्म हाउस के कृषि कनेक्शनो को जो ग्रामीण फीडरो से जुडे हुये है तथा ब्लॉक हावर्स में सप्लाई दी जा रही है का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति वाले फीडरो से ही फार्म हाउस के कनेक्शन दिये जायेगे। साथ ही ऐसे फार्म हाउस कनेक्शन जिन्हें पूर्व से ही 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही हैं उन्हे सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(बी.एल.अग्रवाल)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर/जोधपुर ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 4-मुख्य अभियन्ता () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 6-प्रावेधिक सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 8-प्रावेधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।
- 9-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 10-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
- 11-अधिशायी अभियन्ता (पवस/ /ग्रिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 12-विशिष्ट सहायक,सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0 सरकार,जयपुर ।
- 13-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 14-निजी सचिव, मा0 उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0 उर्जा मंत्री के सूचनार्थ ।
- 15-निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर को मा0 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ ।
- 16-कम्पनी सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि./राज0राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.जयपुर ।
- 17-इन्चार्ज,कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि,जयपुर ।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)